

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद बदायूँ।

आदेश

दिनांक 02.05.2023

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वार्षिक स्थानांतरण वर्ष 2023 से उत्पन्न हुई परिस्थितियों एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श के दृष्टिगत धारा 302, 304B, 304 भा०दं०सं० एवं विशेष अधिनियम व लोक सेवक से संबंधित मामलों के छोड़कर नीचे अंकित सारणी में वर्णित थानों से संबंधित सम्पूर्ण पुलिस चालानी, परिवाद वाद, धारा 156(3) दं०प्र०सं० प्रकीर्ण वाद एवं मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार जनपद मुख्यालय में स्थित न्यायालयों को निम्न प्रकार प्रदान किया जाता है:-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकारिता वाला थाना
1.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूँ।	1. सिविल लाइन 2. कोतवाली 3. उझानी 4. विशेष अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकार के वाद 5. धारा 302, 304B, 304 भा०दं०सं० 6. लोक सेवक से संबंधित समस्त प्रकार के वाद 7. उपरोक्त थानों से संबंधित मोटर वाहन अधिनियम वाद
2.	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय कक्ष संख्या 02, बदायूँ।	1. दातागंज 2. बिल्सी 3. इस्लामनगर-वारण्ट ट्राईल 4. आर्थिक अपराधों से संबंधित वाद (वाहय) न्यायालयों से संबंधित थानों को छोड़कर जनपद के समस्त थानों का क्षेत्राधिकार)
3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय कक्ष संख्या 01, बदायूँ।	1. उसहैत 2. कुवंरगांव 3. बिसौली (कमिटल)
4.	प्रथम अपर सिविल जज(जू.डि.)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूँ।	1. अलापुर
5.	द्वितीय अपर सिविल जज(जू.डि.)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूँ।	1. मूसाझाग
6.	तृतीय अपर सिविल जज(जू.डि.)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूँ।	1. कादरचौक
7.	चतुर्थ अपर सिविल जज(जू.डि.)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूँ।	1. उसांवा 2. जरीफनगर (कमिटल)

8.	पंचम् अपर सिविल जज(जू.डि.)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूँ।	1. वजीरगंज (वारण्ट ट्राईल) 2. फैजगंज बेहटा (कमिटल)
9.	षष्ठम् अपर सिविल जज(जू.डि.)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूँ।	1. उधैती 2. सहसवान (कमिटल)
10.	सप्तम् अपर सिविल जज(जू.डि.)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूँ।	1. बिनावर
11.	सिविल जज (जू.डि.)/त्वरित न्यायालय/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, (महिलाओं के विरुद्ध अपराध), बदायूँ।	1. महिला थाना
12.	सिविल जज (जू.डि.)/त्वरित न्यायालय/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूँ।	1. जी.आर.पी. 2. हजरतपुर

यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त वर्णित थानों से संबंधित समस्त पत्रावलियां यदि किसी न्यायालय में लम्बित हैं, तो संबंधित लिपिक उन पत्रावलियों को उस संबंधित क्षेत्राधिकारिता के न्यायालय में अविलम्ब प्राप्त कराना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को अंदर सप्ताह प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त दिनांक 03.05.2023 से प्रभावी होगा।

(मौ० साजिद-प्रथम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बदायूँ।

अनुमोदित

जनपद न्यायाधीश,
बदायूँ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. माननीय जनपद न्यायाधीश, बदायूँ।
2. समस्त सम्बन्धित उपरोक्त न्यायालय।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूँ।
4. संयुक्त निदेशक अभियोजन, बदायूँ।
5. अध्यक्ष/सचिव जिला बार एसोसिएशन, बदायूँ।
6. कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय, बदायूँ।

दिनांक:-02.05.2023

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बदायूँ।